इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2026

#CRACKDOWN

- **महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध इटावा पुलिस,**
- **मात्र 04 घण्टें के अन्दर 06 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्या के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.06.2026 को थाना बकेवर पर सूचना प्राप्त हुयी कि वादिनी की 06 वर्षीय पुत्री अपने घर के पीछे बाग में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान सफीक पुत्र हवीव खां निवासी गांधी नगर बकेवर बच्ची को पानी भरने का बहाना बनाकर बाग में ले गया और वहां उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो सफीक मौके से फरार हो गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर **थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 75(2) BNS एवं धारा 9M/10 (POCSO) एक्ट** पंजीकृत किया गया।

नोटः- **घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बकेवर से पुलिस टीमों का गठन किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं थाना बकेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2026 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना बकेवर पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ग्राम नसीरपुर बोझा से ग्राम घुघसीना जाने वाले कच्ची सड़क पर कही जाने की फिराक में खड़ा हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख अभियुक्त ने गिरफ्तारी से बचने एवं जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। जिसे **घायल अवस्था में 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया**। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी/पुलिस मुठभेड के संबंध मे थाना बकेवर मु0अ0सं0 169/2026 धारा 109 (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सफीक पुत्र हवीव खां निवासी गांधीनगर थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र करीब 30 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 72(2) बीएनएस व धारा 9M/10 पोक्सो एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 169/2026 धारा 109 (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 तमंचा 315 बोर।
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन मलिक मय टीम।